**अनुस्मारक**

**संख्या-1/2022/वे0आ0-1-150387(ई0आ0)/दस-2022-4(एम)/2015**

**प्रेषक,**

**सरयू प्रसाद मिश्र,**
**विशेष सचिव,**
**वित्त विभाग,**
**उत्तर प्रदेश शासन।**

**सेवा में,**

**(1) शासन के समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव।**

**(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।**

**वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1** **लखनऊ: दिनांक: 28 मार्च, 2022**

**विषय- अधिष्ठान सम्बन्धी सूचनाएं निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-1/2021/वे0आ0-1-811/दस-2020-4(एम)/2015, दिनांक 18 जनवरी, 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से उक्त पत्र के साथ संलग्न प्रारूप संख्या-1 व 2 में अपने विभाग/कार्यालय की सूचना निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, 38 दरबारी लाल शर्मा भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ को उपलब्ध कराने तथा भविष्य में भी प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अपने विभाग/कार्यालय की सूचना संलग्न प्रारूपों में दिनांक 30 अप्रैल, 2021 तक उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था।

2. उल्लेखनीय है कि अभी तक केवल निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0/ कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रयागराज/कार्यालय, नगर पालिका परिषद्, धामपुर (बिजनौर)/ निदेशक, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ की सूचना प्राप्त हुई है जो वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 18 जनवरी, 2021 के बिन्दु संख्या-3 के अनुरूप नहीं है एवं अपूर्ण है।

3. अतः आपसे अनुरोध है कि इस पत्र के साथ संलग्न प्रारूप संख्या-1 व 2 में अपने विभाग/कार्यालय की सूचना अतिशीघ्र निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, 38 दरबारी लाल शर्मा भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

**संलग्नक**- यथोक्त।

**भवदीय,**
**सरयू प्रसाद मिश्र**
**विशेष सचिव।**

**संख्या-1/2022/वे0आ0-150387(ई0आ0)(1)/दस-2022, तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सभी विभागों/कार्यालयों से सूचना प्राप्त हो जाने पर संकलित सूचना शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

**आज्ञा से,**
**पुष्पराज**
**संयुक्त सचिव।**

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

**अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो हेतु सूचना**

**विभाग/संस्था का नाम-** **रूप पत्र-1**

**दिनांक 31.01.2022 तक की स्थिति**

| क्र0 सं0 | पदनाम | पदों की संख्या | | | 01.01.2016 से लागू वेतनमान | प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन | | द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन | | तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन | | आगामी 03 वर्ष में अधिवर्षता की आयु पर सेवानिवृत्ति होने वाले कार्मिकों की संख्या एवं वेतनमान/वेतन मैट्रिक्स लेवल | | | | | | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | स्वीकृत पद | भरे पद | रिक्त पद | | वेतन मैट्रिक्स लेवल | लाभ प्राप्त कर रहे कर्मचारियों की संख्या | वेतन मैट्रिक्स लेवल | लाभ प्राप्त कर रहे कर्मचारियों की संख्या | वेतन मैट्रिक्स लेवल | लाभ प्राप्त कर रहे कर्मचारियों की संख्या | वर्ष 2021 | | वर्ष 2022 | | वर्ष 2023 | | |
| | | | | | | | | | | | | संख्या | वेतन मैट्रिक्स लेवल | संख्या | वेतन मैट्रिक्स लेवल | संख्या | वेतन मैट्रिक्स लेवल | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**नोटः- विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष अपने अधीनस्थ कार्यालयों की सूचना भी एकत्र/संकलित कर (जनपद स्तर की सूचना सीधे न भेजकर) अपने स्तर से उपलब्ध करायें।**

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचनाओं की पूर्ण रूप से जॉच कर ली गयी है और वह सही है।

**हस्ताक्षर-**

**पदनाम-**

**मुहर-**

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

**रूप पत्र-2**

**विभाग/कार्यालय का नाम-**

| क्र0 सं0 | संवर्ग/पद का नाम | समूह "क", "ख", "ग" एवं "घ" जिसमें संवर्ग/पद आता हो | सेवा नियमावली लागू है अथवा नहीं | सेवा नियमावली लागू न होने की स्थिति में कार्यकारी आदेश जिससे संवर्ग/पद की सेवाएं नियंत्रित होती हो | सेवा नियमावली/ कार्यकारी आदेश की पठनीय प्रति संलग्न की जाय। | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।